रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 68] नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 4, 2015/माघ 15, 1936
No. 68] NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 4, 2015/MAGHA 15, 1936

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

(विकलांगजन सशक्तीकरण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 फरवरी, 2015

सा.का.नि. 71(अ).—राष्ट्रीय स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता और बहु-नि:शक्तताग्रस्त व्यक्ति कल्याण न्यास नियम, 2000 का और संशोधन करने के लिए, कतिपय नियमों का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे केंद्रीय सरकार, राष्ट्रीय स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता और बहु-नि:शक्तताग्रस्त व्यक्ति कल्याण न्यास अधिनियम, 1999 (1999 का 44) की धारा 34 की उपधारा (2) के खंड (ख) के साथ पठित धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, नि:शक्तता कार्य विभाग की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 809(अ) तारीख 14 नवंबर, 2014, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में तारीख 14 नवंबर, 2014 को प्रकाशित किया गया था, जिसमें उन सभी व्यक्तियों से, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको भारत के राजपत्र में प्रकाशित रूप में उक्त अधिसूचना की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं, तीस दिन की समाप्ति के पूर्व आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे ;

और उक्त अधिसूचना की प्रतियां तारीख 19 नवंबर, 2014 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थी ;

और उक्त प्रारुप नियमों पर प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर सरकार से विचार कर लिया है ;

अत:, अब, केंद्रीय सरकार, राष्ट्रीय स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता और बहु-नि:शक्तताग्रस्त व्यक्ति कल्याण न्यास अधिनियम, 1999 (1999 का 44) की धारा 34 की उपधारा (2) के खंड (ख) के साथ पठित धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता और बहु-नि:शक्तताग्रस्त व्यक्ति कल्याण न्यास नियम, 2000 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :--

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता और बहु-नि:शक्तताग्रस्त व्यक्ति कल्याण न्यास (संशोधन) नियम, 2015 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. राष्ट्रीय स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता और बहु-नि:शक्तताग्रस्त व्यक्ति कल्याण न्यास नियम, 2000 के नियम 4 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रखे जाएंगे, अर्थात् :--

"4. अध्यक्ष के लिए अपेक्षित शैक्षिक अर्हता और अनुभव—

(1) न्यास के अध्यक्ष की अर्हताएं निम्नलिखित होंगी, अर्थात् :--

(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र या शिक्षाशास्त्र या मनोविज्ञान या सामाजिक कार्य में मास्टर डिग्री ; या

निम्नलिखित अर्हताओं में से किसी अर्हता के साथ किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से किसी अन्य विद्याशाखा में स्नातकोत्तर डिग्री :--

(क) एक या अधिक नि:शक्तताओं, अर्थात् स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता और बहु-नि:शक्ततता में शिक्षा स्नातकोत्तर ; या

(ख) एक या अधिक नि:शक्तताओं, अर्थात् स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता और बहु-नि:शक्ततता में शिक्षा स्नातक ; या

(ग) एक या अधिक नि:शक्तताओं, अर्थात् स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता और बहु-नि:शक्ततता में डिप्लोमा ;

(ii) ख्यातिप्राप्त वृत्तिक जरनलों में अनुसंधान पत्र के प्रकाशन को अतिरिक्त अर्हता के रूप में विचार किया जाएगा ।

(2) अध्यक्ष के पास निम्नलिखित अनुभव होगा, अर्थात् :--

(क) नि:शक्तता सेक्टर में कम से कम पन्द्रह वर्ष का अनुभव, जिसमें से कम से कम दस वर्ष का अनुभव स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता और बहु-नि:शक्ततता में होना चाहिए ; और

(ख) किसी ऐसे गैर सरकारी संगठन के, जो स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता और बहु-नि:शक्ततता के क्षेत्र में कम से कम दस वर्ष से सेवा कर रहा है, मुख्य कार्यपालक अधिकारी या सभापति या अध्यक्ष या महासचिव के रूप में तीन वर्ष से अन्यून का प्रशासनिक अनुभव ;

(3) केंद्रीय सरकार द्वारा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को अध्यक्ष बासठ वर्ष से अधिक आयु का नहीं होगा ।

4क. अध्यक्ष के चयन की प्रक्रिया—

अध्यक्ष, निम्नलिखित से मिलकर बनने वाली किसी खोज-सह-चयन समिति की सिफारिश पर केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा, अर्थात् :--

(i) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला सुसंगत क्षेत्र में का ज्येष्ठ प्रख्यात शिक्षाविद ..... अध्यक्ष ;

(ii) सचिव, विकलांगजन सशक्तिकरण विभाग ..... सदस्य ;

(iii) मुख्य आयुक्त, नि:शक्तताग्रस्त व्यक्ति ..... सदस्य ;

(iv) स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता और बहु-नि:शक्ततता के क्षेत्र में कार्यरत गैर सरकारी संगठनों के प्रबंध निदेशकों या अध्यक्षों में से दो प्रख्यात विशेषज्ञ जिसमें से एक सदस्य माता-पिता या सहोदर भाई या बहन होगा ..... सदस्य ।

4ख. अध्यक्ष का वेतन--

अध्यक्ष का वेतन, भारत सरकार के सचिव के मूल वेतन के समतुल्य और यथा अनुज्ञेय मंहगाई भत्ता तथा नगर प्रतिकरात्मक भत्ता होगा :

परंतु जहां अध्यक्ष, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन या अर्द्ध सरकारी निकाय या लोक उपक्रम या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्था या कोई अन्य स्वशासी या कानूनी निकाय का कोई सेवानिवृत्त व्यक्ति है, वहां उसे देय वेतन के साथ पेंशन या सेवांत सुविधाओं का पेंशन मूल्य या दोनों, जो उसे प्राप्त होंगे, भारत सरकार के सचिव के मूल वेतन से अधिक नहीं होगा ।"।

[फा. सं. 1-4/2012-डी.डी.-IV(वोल्य. 3)]

अवनीश कुमार अवस्थी, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 639(अ), तारीख 26 जुलाई, 2000 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम संशोधन अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 1021(अ), तारीख 24 दिसंबर, 2010 द्वारा किए गए ।

MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT
(Department of Empowerment of Persons with Disabilities)
NOTIFICATION
New Delhi, the 4th February, 2015

G.S.R. 71(E).—Whereas a draft of certain rules further to amend the National Trust for Welfare of Persons with Autism, Cerebral Palsy, Mental Retardation and Multiple Disabilities Rules, 2000, which the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 4 read with clause (b) of sub-section (2) of section 34 of the National Trust for Welfare of Persons with Autism, Cerebral Palsy, Mental Retardation and Multiple Disabilities Act, 1999 (44 of 1999), vide notification of the Government of India in the Ministry of Social Justice and Empowerment, Department of Disability Affairs, number G.S.R. 809(E), dated the 14th November, 2014, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), dated the 14th November, 2014, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected before the expiry of thirty days from the date on which the copies of the Official Gazette of the said notification were made available to the public;

And whereas copies of the Gazette were made available to the public on the 19th November, 2014;

And whereas objections and suggestions received on the said rules have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 4 read with clause (b) of sub-section (2) of section 34 of the National Trust for Welfare of Persons with Autism, Cerebral Palsy, Mental Retardation and Multiple Disabilities Act, 1999 (44 of 1999), the Central Government hereby makes the following amendments to the National Trust for Welfare of Persons with Autism, Cerebral Palsy, Mental Retardation and Multiple Disabilities Rules, 2000, namely:-

1. (1) These rules may be called National Trust for Welfare of Persons with Autism, Cerebral Palsy, Mental Retardation and Multiple Disabilities (Amendment) Rules, 2015.

(2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. In the National Trust for Welfare of Persons with Autism, Cerebral Palsy, Mental Retardation and Multiple Disabilities Rules, 2000, for rule 4, the following rules shall be substituted,namely:-

"**4. Educational qualification and experience required for Chairperson.-**

(1) The Chairperson of the Trust shall have the following qualifications, namely**:-**

(i) Master's Degree in Sociology or Education or Psychology or Social Work from a recognised University; or

Post Graduate degree in any other discipline from a recognised University with any of the following qualifications;

(a) Master in Education in one or more of the disabilities, namely, autism, cerebral palsy, Mental Retardation and Multiple Disabilities; or

(b) Bachelor in Education in one or more of the disabilities, namely, autism, cerebral palsy, Mental Retardation and Multiple Disabilities; or

(c) Diploma in one or more of the disabilities, namely, autism, cerebral palsy, Mental Retardation and Multiple Disabilities;

(ii) Publication of research papers in reputed professional journals shall be considered as additional qualification.

(2) The Chairperson shall have the following experience, namely:-

(a) minimum fifteen years of experience in the disability sector of which not less than ten years in autism or cerebral palsy or Mental Retardation or Multiple Disabilities; and

(b) administrative experience of not less than three years as Chief Executive Officer or Chairperson or President or General Secretary of any Non Governmental Organisation which has been serving at least for ten years in the areas of autism, cerebral palsy, Mental Retardation and Multiple Disabilities;

(3) The Chairperson shall not be older than sixty-two years as on the closing date of receipt of applications by the Central Government.

4A. Procedure for selection of Chairperson.-

The Chairperson shall be appointed by the Central Government on the recommendation of a search-cum-selection committee consisting of the following persons, namely:-

(i) A senior distinguished academician in the relevant field to be nominated by the Minister Social Justice and Empowerment.....Chairman;

(ii) Secretary, Department of Empowerment of Persons with Disabilities; ……..Member;

(iii) Chief Commissioner for Persons with Disabilities.....Member;

(iv) Two experts of eminence amongst the Managing Directors or Chairperson of Non Governmental Organisations working in the field of Autism, Cerebral Palsy, Mental Retardation, Multiple Disabilities, of whom one Member will be a parent or sibling.....Members.

4B. Salary of Chairperson.-

The salary of the Chairperson shall be equivalent to the basic pay of the Secretary to the Government of India and dearness allowance and city compensatory allowance as admissible:

Provided that where the Chairperson is a retired person from the Central Government or a State Government or Union Territory Administration or Semi-Government body or public sector undertaking or a recognised research institution or any other autonomous or statutory body, the salary payable together with the pension or pensionary value of the terminable benefits or both received by him shall not exceed the basic pay of Secretary to the Government of India.".

[F. No. 1-4/2012 - DD-IV (Vol III)]

AWANISH KUMAR AWASTHI, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide notification number G.S.R. 639(E) dated the 26th July, 2000 and was last amended vide notification number G.S.R. 1021(E) dated the 24th December, 2010.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.